न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 74/2016/ जिला–नागौर (2016/00057)

1. कैलाश सिंह पुत्र श्री धोकलचन्द जाति माली (गहलोत) निवासी मेड़ता सिटी तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. हुक्माराम पुत्र श्री देवाराम जाति बावरी निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़ जिला जोधपुर।

–––अपीलांट्स/प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता जिला नागौर।
2. पटवारी हलका, पुन्दलू तहसील मेड़ता जिला नागौर।

––––रेस्पोन्डेन्ट्स/अप्रार्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 19–08–2016
प्रार्थना पत्र संख्या 318/2015 बउनवान कैलाश सिंह व अन्य बनाम
राजस्थान सरकार तहसीलदार, मेड़ता

––––

उपस्थित– 1. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक, अपीलांट्स

निर्णय

दिनांकः– 17.04.2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष रेस्पोन्डेन्ट्स के विरूद्ध धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पुन्दलू की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 755 बहुत बड़ा रकबा था जिसमें से खसरा नम्बर 755 मिन रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार रतनाराम पुत्र श्री प्रतापराम कुम्हार निवासी पुन्दलू था। उक्त रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से अपीलांट कैलाश सिंह ने 4 बीघा भूमि आथुणी (पश्चिमी) तरफ की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–2–2008 के द्वारा खरीद की तथा शेष 2 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट संख्या 2 हुक्माराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14–7–2014

के द्वारा क्रय की तब से अपीलांट्स उक्त विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल ही में हुए नए सेटलमेंट में अपीलांट संख्या 1 कैलाश सिंह का कब्जा खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर के पूर्वी भाग के रकबा 0.65 हैक्टर पर चला आ रहा है तथा अपीलांट संख्या 2 हुक्मा राम का कब्जा खसरा नम्बर 2886 रकबा 1.04 हैक्टर के पश्चिमी भाग रकबा 0.39 हैक्टर पर चला आ रहा है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट्स की सुनवाई किये बिना अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 4862/2886 रकबा 0.65 हैक्टर दर्ज कर दी तथा उक्त रकबा को हाल खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर में शामिल करते हुए सिवायचक दर्ज करते हुए अपीलांट संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2886 के साथ नक्शे में दर्शा दी गई जो कि लिपिकीय त्रुटि है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अपीलांट संख्या 1 के खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर दर्ज करने तथा अपीलांट संख्या 2 के खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 2886 रकबा 1.04 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर भूमि दर्ज कर तद्नुसार राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–8–2016 से प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोन्डेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि ग्राम पुन्दलू की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 755 बहुत बड़ा रकबा था जिसमें से खसरा नम्बर 755 मिन रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार रतनाराम पुत्र श्री प्रतापराम कुम्हार निवासी पुन्दलू था। उक्त रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से अपीलांट कैलाश सिंह ने 4 बीघा भूमि आथुणी (पश्चिमी) तरफ की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–2–2008 के द्वारा खरीद की तथा शेष 2 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट संख्या 2 हुक्माराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14–7–2014 के द्वारा क्रय की तब से अपीलांट्स उक्त विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल ही में हुए नए सेटलमेंट में अपीलांट संख्या 1 कैलाश सिंह का कब्जा खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर के पूर्वी भाग के रकबा 0.65 हैक्टर पर चला आ रहा है तथा अपीलांट संख्या 3 हुक्मा राम का कब्जा खसरा नम्बर 2886 रकबा 1.04 हैक्टर के पश्चिमी भाग रकबा 0.39 हैक्टर पर चला आ रहा है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के तथा अपीलांट्स की सुनवाई किये बिना अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 4862/2886 रकबा 0.65 हैक्टर दर्ज कर दी तथा उक्त रकबा को हाल खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर में शामिल करते हुए सिवायचक दर्ज करते हुए अपीलांट संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा

नम्बर 2886 के साथ नक्शे में दर्शा दी गई जो कि लिपिकीय त्रुटि है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना चाहिए था। इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध साबिक एवं हाल नक्शा का मिलान करने से ही स्पष्ट हो रहा है कि भू–प्रबन्ध विभाग ने ग्राम पुन्दलू के हाल खसरा नम्बर 2880 का रकबा बड़ा दर्शाते हुए इसमें अपीलांट संख्या 1 कैलाश सिंह द्वारा क्रय की गई 4 बीघा भूमि का हाल खसरा नम्बर 4862/2886 रकबा 0.65 हैक्टर बनाते हुए शामिल कर दिया तथा उक्त खसरा नम्बर 4862/2886 को अपीलांट संख्या 2 हुक्माराम के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 2886 के साथ मिला दिया जो कि मात्र लिपिकीय त्रुटि थी। इस कारण अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के द्वारा दुरूस्त किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हलका पुन्दलू द्वारा मौका रिपोर्ट राजस्व रेकार्ड एवं नक्शा से मिलान करते हुए प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि ''नये भू प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 755 मिन के नये खसरा नम्बर 2886 एक जगह कायम कर दिया तथा रकबा 1.04 हैक्टर दर्ज कर दिया जबकि मौके पर 0.65 हैक्टर खसरा नम्बर 2880 में काबिज है तथा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2886 में काबिज है। अतः मौके के अनुसार खसरा नम्बर 4862/2886 रकबा 0.65 को सरकारी व खसरा नम्बर 2880 में 0.65 की खातेदारी कैलाश सिंह के नाम जारी किया जाना उचित है । नये खसरा नम्बर 2880, 2886 पुराने खसरा नम्बर 755 में ही बने हुए है। दोनों खसरा नम्बर 2880, 2886 चिपते हुए है। पटवारी हलका की उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट साबित हो गया था। उक्त महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य को नजर अन्दाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–8–2016 निरस्त किया जाकर धारा 136 एल.आर.एक्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जानेके आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम पुन्दलू की विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 755 बहुत बड़ा रकबा था जिसमें से खसरा नम्बर 755 मिन रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा का काबिज खातेदार काश्तकार रतनाराम पुत्र श्री प्रतापराम कुम्हार निवासी पुन्दलू था। उक्त रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा में से अपीलांट कैलाश सिंह ने 4 बीघा भूमि आथुणी (पश्चिमी) तरफ की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–2–2008 के द्वारा खरीद की तथा शेष 2 बीघा 9 बिस्वा अपीलांट संख्या 2 हुक्माराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14–7–2014 के द्वारा

क्रय की तब से अपीलांट्स उक्त विवादग्रस्त आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है। हाल ही में हुए नए सेटलमेंट में अपीलांट संख्या 1 कैलाश सिंह का कब्जा खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर के पूर्वी भाग के रकबा 0.65 हैक्टर पर चला आ रहा है तथा अपीलांट संख्या 3 हुक्मा राम का कब्जा खसरा नम्बर 2886 रकबा 1.04 हैक्टर के पश्चिमी भाग रकबा 0.39 हैक्टर पर चला आ रहा है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपीलांट्स की सुनवाई किये बिना अपीलांट संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 4862/2886 रकबा 0.65 हैक्टर दर्ज कर दी तथा उक्त रकबा को हाल खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर में शामिल करते हुए सिवायचक दर्ज करते हुए अपीलांट संख्या 2 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 2886 के साथ नक्शे में दर्शा दी गई जो कि लिपिकीय त्रुटि है। उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु अपीलांट संख्या 1 के खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 2880 रकबा 1.10 हैक्टर में से 0.65 हैक्टर दर्ज करने तथा अपीलांट संख्या 2 के खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 2886 रकबा 1.04 हैक्टर में से 0.39 हैक्टर भूमि दर्ज कर तद्नुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। यहां यह उल्लेखनीय है कि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है। धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही का क्षैत्र बहुत सीमित है जिसमें लिपीकीय त्रुटि जो देखने मात्र से स्पष्ट होती हो जिसे दोनों पक्ष की सहमति से ही दुरूस्त किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार पुराने खसरा नम्बर 755 मिन 2 जगह था तथा नये सेटलमेंट में उक्त खसरे के नये खसरा नम्बर 2886 एक जगह कायम कर दिया तथा रकबा 1.04 हैक्टेयर दर्ज कर दियो जिसे मौके के अनुसार दर्ज करना उचित बताया था। तहसीलदार मेड़ता ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दिया था कि भू–प्रबन्ध के दौरान खसरा नम्बर 755 मिन के नये खसरा नम्बर 2886 एक जगह कायम कर दिया तथा रकबा 1.04 हैक्टर दर्ज कर दिया है जबकि मौके पर 0.65 हैक्टर खसरा नम्बर 2880 में काबिज है तथा 0.39 हैक्टर खसरा नम्बर 2886 में काबिज है। अतः मौके के अनुसार खसरा नम्बर 4862/2886 रकबा 0.65 हैक्टर को सरकारी व खसरा नम्बर 2880 में 0.65 हैक्टर की खातेदारी कैलाश सिंह पुत्र धोकल सिंह माली साकिन मेड़ता के नाम किया जाना उचित है। नये खसरा नम्बर 2880, 2886 पुराने खसरा नम्बर 755 में से ही बने हुए है। दोनों खसरा नम्बर 2880, 2886 चिपते हुए है जो कि पटवारी हलका की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व विवादग्रस्त आराजियात नक्शा ट्रेस एवं पटवारी हलका की रिपोर्ट का पूर्ण अवलोकन किये बिना पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजर अन्दाज कर विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है। उक्त तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–08–2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता) का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19–08–2016 अन्तर्गत प्रकरण

संख्या 318/2015 बउनवानी कैलाश सिंह व अन्य बनाम तहसीलदार, मेड़ता व अन्य विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार मेड़ता व पटवारी हलका की रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण अवलोकन कर एवं अपीलांट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि अनुकूल निर्णय पारित करें।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर